



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार, 09 चैत्र, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 29 मार्च, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. निधन के निदेश।
2. मुख्यमंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2010-11 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगे।
3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
4. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
5. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
6. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
7. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
8. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण :-

"यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नयी "क")

9. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के एक भाग के लिये लेखानुदान पर चर्चा एवं मतदान।
- (1) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रूपये 134468000 (रूपये तेरह करोड़ चौवालीस लाख अरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
 - (2) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रूपये 85461000 (रूपये आठ करोड़ चौबन लाख इक्कसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
 - (3) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रूपये 427697000 (रूपये बयालिस करोड़ छिहत्तर लाख सतानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
 - (4) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रूपये 49279000 (रूपये चार करोड़ बयानवे लाख उन्यासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
 - (5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रूपये 1466797000 (रूपये एक सौ छियालीस करोड़ सरसठ लाख सत्तानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

- (6) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रुपये 8065741000 (रुपये आठ सौ छः करोड़ सत्तावन लाख इक्तालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रुपये 29965000 (रुपये दो करोड़ निव्यानवे लाख पैंसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान की अवधि में रुपये 2559093000 (रुपये दो सौ पचपन करोड़ नब्बे लाख तिरानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (9) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 13835404000 (रुपये एक हजार तीन सौ तिरासी करोड़ चौवन लाख चार हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (10) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 3329492000 (रुपये तीन सौ बत्तीस करोड़ चौरानवे लाख बयानवे हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (11) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 3392467000 (रुपये तीन सौ उन्नालीस करोड़ चौबीस लाख सरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

- (12) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 89864000 (रूपये आठ करोड़ अठानवे लाख चौंसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (13) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 2187035000 (रूपये दो सौ अठ्ठारह करोड़ सत्तर लाख पैंतीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (14) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 293949000 (रूपये उन्तीस करोड़ उन्तालीस लाख उन्चास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (15) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 1307938000 (रूपये एक सौ तीस करोड़ उन्चासी लाख अड़तीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (16) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 118384000 (रूपये ग्यारह करोड़ तिरासी लाख चौरासी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (17) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 2080280000 (रूपये दो सौ आठ करोड़ दो लाख अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (18) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रूपये 3083663000 (रूपये तीन सौ आठ करोड़ छत्तीस लाख तिरसठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

- (19) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 1904350000 (रुपये एक सौ बब्बे करोड़ नैंतालीस लाख पचास हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (20) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 4503484000 (रुपये चार सौ पचास करोड़ चौतीस लाख चौरसी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (21) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 313753000 (रुपये इक्कीस करोड़ सैंतीस लाख तिरपन हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (22) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 237362000 (रुपये तेइस करोड़ तिहत्तर लाख बासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (23) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 1282147000 (रुपये एक सौ अठ्ठाईस करोड़ इक्कीस लाख सैंतालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (24) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 339308000 (रुपये तैंतीस करोड़ तिरानवे लाख आठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

- (25) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिष्वयों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 1297448000 (रुपये एक सौ उन्तीस करोड़ चौहत्तर लाख अड़तालीस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (26) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28 पशुपालन संबंधी कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिष्वयों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 369180000 (रुपये छत्तीस करोड़ इक्यान्वे लाख अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (27) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिष्वयों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 334366000 (रुपये तैंतीस करोड़ तैंतालीस लाख छियासठ हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (28) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिष्वयों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 2605527000 (रुपये दो सौ साठ करोड़ पचपन लाख सत्ताईस हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
- (29) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिष्वयों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान की अवधि में रुपये 744580000 (रुपये चौहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख अस्सी हजार) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।
10. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।

11. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करेंगे।
12. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।
13. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।
14. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
15. प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मदन कौशिक सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2012 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
16. जन-गण-मन। (दिखाए नत्थी "ख")

देहरादून :
दिनांक : 29 मार्च, 2012

आज्ञा से,

29/3/2012
(डी०पी०गौरोला)
प्रमुख सचिव।



उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ख"

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता ॥

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग ॥

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तव जय गाथा ॥

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य-विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥